

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
सकारण आदेश

सकारण आदेश संख्या-14/अ0प्र0-14-163/2025 3198 /पटना, दिनांक- 13.3.26
संवेदक श्याम कुमार चौधरी (निबंधन संख्या:-2170210/2190389), पिता-श्री हरिवंश
चौधरी, ग्राम+पो0-ताजपुर, थाना-भगवानपुर, जिला-बेगूसराय, पिन कोड-851112 को कार्य
प्रमंडल, दरभंगा-01 के अधीन राज्य योजना (नाबार्ड) योजनान्तर्गत तारालाही से सिनुआरा
तांती टोला पथ का निर्माण कार्य आवंटित किया गया। एकरारनामा संख्या:-48SBD/2018-19
के अनुसार कार्य प्रारम्भ की तिथि 25.09.2018 एवं कार्य समाप्ति की तिथि 24.09.2019 थी।

उक्त पथ में निर्धारित अवधि व्यतीत हो जाने के बाद भी संवेदक द्वारा उक्त पथ का
निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किया गया। कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल,
दरभंगा-01 द्वारा उक्त पथ का निर्माण कार्य पूर्ण करने हेतु कई बार नोटिस दिया गया परन्तु
संवेदक द्वारा पथ का निर्माण कार्य पूर्ण करने में कोई अभिरूचि नहीं ली गई।

कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, दरभंगा-01 के सकारण
आदेश ज्ञापांक 1981 अनु0 दिनांक 10.10.2020 द्वारा एकरारनामा संख्या:- 48SBD/2018-19
को विखंडित की गयी। संवेदक द्वारा पथ का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण नहीं करने के कारण
उक्त आदेश को विखंडित किया गया था। जिसे मुख्य अभियंता-03, ग्रामीण कार्य विभाग
विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक 529 दिनांक 25.06.2022 द्वारा विखंडित किये गये
एकरारनामा को दिनांक 31.12.2022 तक की अवधि का विस्तार किया गया। उसके बाद भी
संदर्भित पथ का निर्माण कार्य पूर्ण करने की दिशा में संवेदक द्वारा कोई अभिरूचि नहीं ली
गई।

तदालोक में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, दरभंगा-01 के
सकारण आदेश ज्ञापांक 2121 अनु0 दिनांक 15.09.2023 द्वारा एकरारनामा संख्या:-
48SBD/2018-19 को पुनः विखंडित की गयी।

संवेदक द्वारा उक्त आदेश के आलोक में एक आवेदन शपथ पत्र के साथ समर्पित
किया गया। जिसमें उल्लेखित किया गया कि एकरारित कार्य को एक अवसर मिलने पर
90-120 दिनों के भीतर निर्माण कार्य को पूर्व के एकरारित दर पर पूर्ण कर दिया जायेगा।
संवेदक के द्वारा शपथ-पत्र के साथ समर्पित आवेदन के आलोक में दिनांक 26.09.2025 को
Empowered Standing Committee की बैठक की गयी। उक्त बैठक में निदेश दिया गया कि
“संवेदक को एक अवसर प्रदान करते हुए कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य
प्रमंडल, दरभंगा-01 के एकरारनामा विखंडन आदेश 2121 दिनांक 15.09.2023 को Set Aside
करते हुए संवेदक को आज दिनांक 26.09.2025 से अगले 45 दिनों तक विषयांकित पथ का
कार्य स्थल के अनुरूप एवं पूर्ण गुणवत्ता के साथ तथा विशिष्टियों के अनुरूप पूर्ण करने का
निदेश दिया गया। साथ ही यह भी निदेश दिया गया कि संवेदक द्वारा कार्य में समानुपातिक
प्रगति नहीं की जाती है, तो कार्यपालक अभियंता पुनः एकरारनामा के प्रावधानों के अनुरूप
यथोचित कार्रवाई करने हेतु स्वतंत्र होंगे।”


राज्य योजना (नाबार्ड) योजनान्तर्गत तारालाही से सिनुआरा तांती टोला पथ की जॉच दिनांक 08.10.2025 को मुख्यअभियंता-06 (दरभंगा) ग्रामीण कार्य विभाग के अध्यक्षत में 05 (पाँच) सदस्यों की कमिटी द्वारा की गई थी। Empowered Standing Committee की बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में संवेदक द्वारा पथ में किसी प्रकार का कार्य नहीं किया गया।

तदालोक में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, दरभंगा-01 के सकारण आदेश झापांक 3099 अनु0 दिनांक 29.12.2025 द्वारा. एकरारनामा संख्या:- 48SBD/2018-19 को पुनः विखंडित करते हुए अपने पत्रांक 08 अनु0 दिनांक 02.01.2026 को संवेदक के निबंधन को कालीसूची में सम्मिलित करने हेतु अनुशंसा की गयी।

उक्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय पत्रांक 983 दिनांक 23.01.2026 द्वारा संवेदक से कारण पृच्छा की गयी।

संवेदक द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के आलोक में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, दरभंगा-01 के पत्रांक 775 अनु0 दिनांक 24.02.2026 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि संवेदक का किसी भी प्रकार का बिल का भुगतान बकाया नहीं है। पूर्व में इस कार्यालय के पत्रांक 03 (कैम्प) दिनांक 03.06.2025 द्वारा गठित जॉच टीम के जॉच प्रतिवेदन एवं अद्योहस्ताक्षरी, सम्बन्धित सहायक अभियंता एवं सम्बन्धित कनीय अभियंता के साथ सुयंक्त जॉच एवं सम्बन्धित मापी पुस्त से स्पष्ट होता है कि संवेदक द्वारा कराये गये कार्य का भुगतान बकाया नहीं है। संवेदक के पत्रांक 501 दिनांक 24.10.2025 के आवेदन के साथ संलग्न शपथ-पत्र के आलोक में Empowered Standing Committee के द्वारा दिये गये निर्णय के आलोक में (निर्धारित अवधि-45 दिन में) संवेदक द्वारा कार्य करने में किसी भी प्रकार की रुची नहीं ली गई। जो विभागीय आदेश का उल्लंघन है। इसके लिए संवेदक दोषी है।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में विभागीय समीक्षोपरान्त बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 (ग्रामीण कार्य विभाग) की अधिसूचना संख्या-8123 दिनांक 19.12.2007 की कडिका 11(क) (vi) एवं 11 (ख) (ii) के आलोक में संवेदक श्याम कुमार चौधरी (निबंधन संख्या:-2170210/2190389), पिता-श्री हरिवंश चौधरी, ग्राम+पो0-ताजपुर, थाना-भगवानपुर, जिला-बेगूसराय, पिन कोड-851112 के निबंधन संख्या:-2170210/2190389, PAN No. AGBPC1061A को अगले 03 (तीन) वर्षों के लिए कालीकृत (Blacklist) किया जाता है।



(जय किशोर ठाकुर)
अभियंता प्रमुख


/पटना, दिनांक- 13.3.26

झापांक-14/अ0प्र0-14-163/2025

3196

निबंधित

प्रतिलिपि- संवेदक संवेदक श्याम कुमार चौधरी (निबंधन संख्या:-2170210/2190389), पिता-श्री हरिवंश चौधरी, ग्राम+पो0-ताजपुर, थाना-भगवानपुर, जिला-बेगूसराय, पिन कोड-851112 को सूचनार्थ प्रेषित।




अभियंता प्रमुख

क०प०उ०

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-163/2025

3198

प्रतिलिपि-प्रधान सचिव/सचिव/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधान विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/नगर विकास विभाग/उर्जा विभाग/कृषि विभाग, बिहार, पटना/पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता/सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



12-03-26

अभियंता प्रमुख
/पटना, दिनांक-13-3-26

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-163/2025

3198

प्रतिलिपि- सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।



12-03-26

अभियंता प्रमुख
/पटना, दिनांक-13-3-26

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-163/2025

3198

प्रतिलिपि- नोडल पदाधिकारी, निबंधन, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-14 एवं प्रशाखा में कार्यरत सभी सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



12-03-26

अभियंता प्रमुख
/पटना, दिनांक-13-3-26

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-163/2025

3198

प्रतिलिपि- आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है इस पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करा दिया जाय।


12-03-26

अभियंता प्रमुख

Website

25

Faint, illegible text at the top of the page, possibly bleed-through from the reverse side.

[Signature]

Faint, illegible text in the middle section of the page.

[Signature]

Faint, illegible text in the lower middle section of the page.

Faint, illegible text at the bottom of the page.

[Signature]